संख्या-15/2020/सा-3-360/दस-2020-308/2016(1)

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश,
इंदिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनाँक 04 सितम्बर, 2020

विषयः रिट याचिका संख्या-13029/2020 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-08-2020 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-13/2020/सा-3-326/दस-2020-308/2016(1) दिनांक 14-07-2020 के विरूद्ध योजित रिट याचिका संख्या-13029/2020 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-08-2020 के समादर में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किया जाये तथा संबंधित सेवानिवृत्त चिकित्सकों से कोई वसूली/समायोजन नहीं किया जाये ।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 24-08-2020 की प्रतिलिपि कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-15/2020/सा-3-360(1)/दस-2020-308/2016(1) तद्दिनाँक

प्रतिलिपिः निदेशकए कोषागार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

आज्ञा से

पुष्पराज
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Court No. - 10

Case :- SERVICE SINGLE No. - 13029 of 2020

Petitioner :- Dr. Avinash Chandra Srivastava & Others
Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Finance, Lko & Others
Counsel for Petitioner :- Hari Prasad Gupta,Hari Ram Gupta
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J.

Learned Additional Chief Standing Counsel was directed to seek complete instructions in the matter, vide Court's order dated 07.08.2020, however, he has stated that he has not been able to get instructions.

Learned counsel for the petitioners has relied upon an order dated 27.07.2020, passed by this Court in Writ Petition No.11704(SS) of 2020. Since the issue relates to an alleged unlawful classification of the pension on the basis of their respective dates of retirement and prior to passing of clarificatory order dated 14.07.2020 the petitioners have drawn certain amount for pension, as such, it is directed that no recovery/adjustment from the pension of the petitioners shall be made till further orders of this Court.

Respondents will file their counter affidavit within a period of six weeks. Two weeks' time thereafter shall be available to the learned counsel for the petitioners to file rejoinder affidavit.

List this case after expiry of the aforesaid period.

Order Date :- 24.8.2020

Sanjay

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।